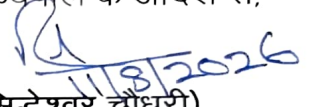


बिहार सरकार
सामान्य प्रशासन विभाग
अधिसूचना

पटना-15, दिनांक : 11 अगस्त, 2026

संख्या:1/सी0-1002/2021-सा0प्र0-14576/श्री सी. के. अनिल, भा.प्र.से. (1991), परामर्शी, बिहार राज्य योजना पर्षद, पटना को कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, भारत सरकार के पत्रांक-11030/04/2025-ए आई एस-II(पे) दिनांक 28.07.2026 में निहित निर्देश के आलोक में प्रभार ग्रहण की तिथि से शीर्ष वेतनमान (स्तर-17-रु.2,25,000/-नियत) में प्रोन्नति प्रदान की जाती है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,


(सिद्धेश्वर चौधरी)

सरकार के अवर सचिव

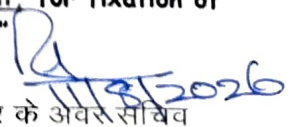
ज्ञापांक :: 1/सी0-1002/2021 -सा0 प्र0- 14576/पटना-15, दिनांक 11 अगस्त, 2026

प्रतिलिपि :- प्रभारी पदाधिकारी, ई-गजट कोषांग, वित्त विभाग, बिहार, पटना को बिहार राजपत्र में प्रकाशनार्थ/सचिव, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, भारत सरकार, कर्तव्य भवन-3, कर्तव्य पथ, नई दिल्ली/संस्थापन पदाधिकारी, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, भारत सरकार, कर्तव्य भवन-3, कर्तव्य पथ, नई दिल्ली/कैरियर मैनेजमेंट डिवीजन, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, भारत सरकार, कर्तव्य भवन-3, कर्तव्य पथ, नई दिल्ली/स्थानिक आयुक्त, बिहार भवन, कौटिल्य मार्ग, चाणक्यपुरी, नई दिल्ली/प्रधान महालेखाकार(ले. एवं ह.), बिहार, पटना/विकास आयुक्त, बिहार, पटना/राज्यपाल के अपर मुख्य सचिव, राज्यपाल सचिवालय, बिहार, पटना/संबंधित विभाग/संबंधित पदाधिकारी /मुख्यमंत्री सचिवालय, बिहार, पटना/मुख्य सचिव के आप्त सचिव, बिहार, पटना/मुख्य सचिव, बिहार के गोपनीय कोषांग, कम्प्यूटर सेल/अवर सचिव (वैयक्तिक दावा निर्धारण कोषांग), वित्त विभाग, बिहार, पटना/आई0 टी0 मैनेजर, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना (विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने एवं वित्त विभाग को सी0डी0 के साथ उपलब्ध कराने हेतु)/सामान्य प्रशासन विभाग के प्रशाखा पदाधिकारी (प्रशाखा-1 एवं प्रशाखा-6) को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. श्री सी. के. अनिल, भा.प्र.से. (1991) के पदस्थापनकाल तक के लिए उनके द्वारा धारित परामर्शी, बिहार राज्य योजना पर्षद के पद को भा0प्र0से0 (वेतन) नियमावली, 2016 के नियम-12(1) के तहत अपर मुख्य सचिव स्तर के समकक्ष घोषित किया जाता है।

3. प्रोन्नत पदाधिकारी एफ आर 22(1)(ए)(2) के निम्नांकित प्रावधान के तहत आवश्यकतानुसार विकल्प का प्रयोग कर सकते हैं:-

"Under FR 22(1)(a)(2) also there is a provision that on appointment on regular basis to such new post, other than to an ex-cadre post on deputation, the Government servant shall have the option, to be exercised within one month from the date of such appointment, for fixation of his pay in the new post with effect from the date of increment in the old post."


सरकार के अवर सचिव